न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 29/2022
दायर दिनांक : 31.05.2022
निर्णय दिनांक : 31.03.2023

उनवान

1. आनन्दीलाल पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
2. रामरतन पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
3. रामस्वरूप पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
4. श्रीकिशन पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
2. लक्ष्मण पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
3. जयराम उर्फ जौहरीलाल पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
4. नन्दलाल पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
5. अमरसिंह पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
6. हीरालाल पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
7. मीठालाल पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 एक ही गांव के कृषकगण है, जिनकी कृषि भूमि आपस में सटी हुई है तथा पडौसी खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 566 व खसरा नम्बर 567

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि के समीप ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि अप्रार्थीगण की भूमि के समीप होने से कुछ भूमि अप्रार्थीगण ने नाजायज तौर से अपनी कृषि भूमि में मिला रखी है, जिनमें से अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने प्रार्थीगण की भूमि को खसरा नम्बर 585 में तथा अप्रार्थी नम्बर 6 ने प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि खसरा नम्बर 587, 588 में मिला रखी है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार दौसा को भी सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार दौसा ने पटवारी हल्का को सीमाज्ञान कराने हेतु आदेश दिया। जिस पर पटवारी मौके पर सीमाज्ञान हेतु व मौका पर्चा हेतु गये, परन्तु अप्रार्थीयान ने सीमाज्ञान नहीं करने दिया और न ही निशान कायम करने दिया और मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पटवारी बिना सीमाज्ञान कराये ही वापस आ गये। इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी नम्बर 8 को आदेश दिया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 566, 567 वाके ग्राम खैरवाल तहसील दौसा का सीमाज्ञान पत्थरगढी करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार दौसा की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खैरवाल में खसरा नम्बर 566/0.39, 567/0.46 आनन्दीलाल पुत्र नाथू हि० 1/4 जाति गूजर सा० देह खातेदार राहिन हि० 1/4 एसबीआई शाखा दौसा, रामरतन पुत्र नाथू हि० 1/4 जाति गूजर सा० देह खातेदार राहिन हि० 1/4 एसबीआई शाखा दौसा, रामस्वरूप पुत्र नाथू हि० 1/4 जाति गूजर सा० देह खातेदार राहिन हि० 1/4 एचडीएफसी बैंक लि० शाखा दौसा, श्रीकिशन पुत्र नाथू हि० 1/4 जाति गूजर सा० देह खातेदार राहिन हि० 1/4 एसबीआई शाखा नांगल बैरसी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर वर्तमान में खाली है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खैरवाल में ख० नं० 586/0.51 रामादेवी पत्नी जयराम, कविता गोकुल पुत्रीया जयराम जौहरीलाल पुत्र जयराम हि० बराबर हि० 1/20, जगदीश पुत्र रामनिवास हि० 1/15 राहिन बीओबी शाखा जयपुर रोड़ दौसा, नन्दलाल पुत्र रामनिवास हि० 1/5 राहिन एसबीआई शाखा दौसा, लक्ष्मण पुत्र रामनिवास हि० 1/5 राहिन बीओबी शाखा जयपुर रोड़ दौसा, मूली पत्नी रामनिवास हि० 1/5 जाति गूजर सा० देह खातेदार नाम दर्ज रिकार्ड है, जबकि ख० नं० 587/0.12, 588/0.20 अमरसिंह पुत्र रामसहाय हि० 1/3 राहिन एसबीआई शाखा नांगल बैरसी, मिठ्ठलाल पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

रामसहाय हि. 1/3 राहिन एसबीआई शाखा नांगल बैरसी, हीरालाल पुत्र रामसहाय हि. 1/3 राहिन देना बैंक शाखा दौसा जाति गूजर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान में बुआई करके फसल बो रखी है एवं मौके पर फसल खड़ी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सम्बन्ध में बिन्दुवार जवाब तैयार कर निवेदन है कि सह–खातेदारों व पड़ौसी खातेदारों को सुना जाकर आदेश किया जाना उचित होगा।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान उनके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं खसरा नम्बर 566, 567 वाके ग्राम खैरवाल का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 566 तथा खसरा नम्बर 567 वाके ग्राम खैरवाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा ने पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। तहसीलदार का कथन है कि सह–खातेदारों व पड़ौसी खातेदारों को सुना जाकर आदेश किया जाना उचित होगा। अप्रार्थीगणों को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 566 एवं 567 ग्राम खैरवाल तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू–अभि. निरी. की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगणों से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा